



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 0771-2439562, फैक्स 0771-2331525, 2446556 वेबसाइट: www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 298/08/चयन/2025

नवा रायपुर, दिनांक 31 OCT 2025

-:: दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार सूचना पत्र :: -

राज्य सेवा परीक्षा- 2024

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 03/2024/परीक्षा/दिनांक 26/11/2024, रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 04/12/2024 द्वारा छ.ग.शासन के अंतर्गत 17 विभिन्न विभागों के कुल 246 विज्ञापित पदों हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 26, 27, 28 एवं 29 जून 2025 को किया गया तथा परीक्षा परिणाम दिनांक 31.10.2025 को जारी किया गया है। उक्त लिखित परीक्षा परिणाम वर्गवार/उपवर्गवार न्यूनतम अर्हकारी अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर कुल 643 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किया गया है। आयोग द्वारा चिन्हांकित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 10.11.2025 से 20.11.2025 तक आयोजित किया जाएगा।

राज्य सेवा परीक्षा-2024 के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित पाली प्रथम पाली-पूर्वान्ह 09.30 बजे तथा द्वितीय पाली- अपरान्ह 01.30 बजे किया जाकर निर्धारित तिथि को साक्षात्कार लिया जाएगा। अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु पूर्वान्ह प्रथम पाली 9.00 बजे एवं द्वितीय पाली अपरान्ह 01.00 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने एवं अनर्ह होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं का "प्रमाण-पत्र" ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में शैक्षणिक दस्तावेजों/स्थायी जाति/निवास/ आय/निःशक्तजन प्रमाण पत्र/पहचान पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों के मूल प्रति तथा एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता/अन्य प्रमाण पत्रों की कमी होने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी एवं इस संबंध में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन रहेगी।


परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर

